न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–175/2000

CIS NO. TS-390/2019

अशर्फी राउत.....वादी

बनाम

मु0 माया देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.08.2025 को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–02 राजकुमार साह स्वयं गवाही देने आ रहे थे परन्तु रास्ते में मोटर साईकिल दुर्घटना में उन्हें काफी चोट लग गई, जिस कारण वे ससमय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें। गवाह का ससमय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2025 को प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2025 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 20.08.2025 को पारित आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–175/2000

CIS NO. TS-390/2019

अशर्फी राउत.....वादी

बनाम

मु0 माया देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.09.2025	निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 20.08.2025 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण का आवेदन दिनांक 20.08.2025 को मो0 500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 24.09.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	